



क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी सैल / 2008 / 156

**राजस्थान सरकार**  
**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**राज्य पी०सी०पी०एन०डी०टी० प्रकोष्ठ**  
**राजस्थान, जयपुर**

दिनांक : २१/१०/०८

## आदेश

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 को सुनिश्चित एवं प्रभावी ढंग से कियान्वित किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों/व्यक्तियों की कमेटियों का गठन किया जाता है :-

**संभागीय स्तर पर –**

संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ	अध्यक्ष
संबंधित जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
जिले से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य

**जिला स्तर पर –**

जिला कलेक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि (प्रशासनिक अधिकारी)	अध्यक्ष
जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /	
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
स्थानीय मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य


**उक्त कमेटियों के निम्नांकित कार्य होंगे :-**

1. समस्त पंजीकृत संस्थानों का समय समय पर निरीक्षण तथा अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित पंजीकृत संस्थानों में नोटिस बोर्ड, एफ फार्म आदि सम्पूर्ण रिकार्ड का निरीक्षण।
2. अधिनियम के अन्तर्गत जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय सलाहकार समितियों की बैठकों का आयोजन 60 दिवस के अन्तराल में करवाया जाना सुनिश्चित करेगी।
3. निरीक्षण के दौरान पंजीकृत केन्द्रों में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित समुचित प्राधिकारी से कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना।

**अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं  
सचिव (प०क०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग  
राजस्थान, जयपुर**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव (प०क०) एवं मिशन निदेशक (एनआरएचएम), जयपुर।
4. निजी सहायक निदेशक (प०क०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प०क०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
6. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी, राजस्थान।
7. समस्त नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
8. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।

  
अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं  
सचिव (प०क०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग  
राजस्थान, जयपुर